

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

थी गमेर सिंह विपक्षी तरेख सिंह
 क्रम मुकदमा 188 AT Act पत्रावली संख्या 78/24 सन _____

मांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
23/9/25	<p>वकुलाय दादी/प्रतिवादी उप <u>उपखण्ड/तलवा/न. 2/3</u> के लिये भोजन चाहते है। अतः <u>स्वतः की शर्त पर</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>24/11/25</u> को पेश हो। (SDO) मावली</p>	
24/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता-पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>9/12/26</u> को पेश हो। D. S.</p>	
9/12/26	<p>वकुलाय दादी/प्रतिवादी उप <u>उपखण्ड/तलवा/न. 2/3</u> के लिये भोजन चाहते है। अतः <u>स्वतः की शर्त पर</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>8/1/26</u> को पेश हो। (SDO) मावली</p>	
6/1/26	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>11/5/26</u> को पेश हो। BLO</p>	

11/5/26

पत्तावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण
मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता
वादीगण मय स्वयं वादीगण को बार-बार
आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM
हो चुके हैं। स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता
आष तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता
वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित रहने
पर वादीगण का वाद अफम हाजरी अफम
पेशी में खारिज किया जाता है। पत्तावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
भावली, जिला उदयपुर